# कार्यालय कार्यपालक अभियंता,
# लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची।
## जल संसाधन विभाग

**मेल : *eeqcdrnc@gmail.com*** **वेबसाइट : *www.wrdjharkhand.nic.in***

## Expression of Interest (EOI)

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं से विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सूचीकरण (Empanelment) हेतु आमंत्रण सूचना।

**EOI Reference No – WRD/MIQCD/RANCHI- 01 /2024-25 Dated:- 13.06.2024**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्य का नाम | **झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं से विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सूचीकरण (Empanelment) हेतु।** |
| 2. | EOI वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि एवं समय (www.wrdjharkhand.nic.in) | **19.06.2024 के दोपहर 12:00 बजे** |
| 3. | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | **04.07.2024 के 5:00 बजे अपराहन् तक** |
| 4. | तकनीकी मूल्यांकन की तिथि एवं समय | इसकी सूचना बाद में दी जाएगी |
| 5. | EOI आवेदन शुल्क | कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची के नाम से रूपये 1000/– (एक हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट (SBI, Payable at Ranchi) |
| 6. | निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता | कार्यालय कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची |
| 7. | निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या एवं ई–मेल पता | 9835375808<br>eeqcdrnc@gmail.com |
| 8. | प्रोक्योर्मेन्ट सेल हेल्पलाईन संख्या | 9835375808 |

- यदि निविदा प्रस्तुत करने या खोलने के लिए निर्दिष्ट तिथि को अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदा प्रस्तुत करने या खोलने की नियत तिथि अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर होगी।
- विभाग के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि या किसी भी बाद की तारीख से पहले सूचना या निविदा दस्तावेजों को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने, संशोधन या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- EOI/ निविदा दस्तावेज में कोई भी परिवर्त्तन या अधिक विवरण वेबसाइट www.wrdjharkhand.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची
**जल संसाधन विभाग, झारखण्ड**

# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य–324/2019 789/ राँची, दिनांक– 28/11/2023
झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं से विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सूचीकरण (Empanelment) हेतु आमंत्रण सूचना।

1. झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के द्वारा समय–समय पर वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रक्षेत्रों में सिंचाई की संरचनाएँ निर्मित की गई है। जिनका भरपूर लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुकों की भागीदारी आवश्यक है। इन लाभुकों को उत्प्रेरित, प्रशिक्षित एवं सांगठनिक रूप से सुदृढ़ बनाये जाने हेतु एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो विभागीय तंत्र एवं इन लाभुकों के बीच कड़ी का काम कर सके ताकि निहित उद्देश्यो की प्राप्ति हो सके।
2. उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में काफी संख्या में चेकडैम/वीयर/उद्‌वह सिंचाई योजना का निर्माण एवं मध्यम सिंचाई योजना/तालाब/आहर/बाँध का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। इन योजनाओं के समुचित उपयोग हेतु इन योजनाओं के लाभुकों के साथ विभागीय पदाधिकारियों के पारस्परिक समन्वय की आवश्यकता है।
3. लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में पूर्व निर्मित बंद पड़ी विद्युत/डीजल चालित उद्‌वह सिंचाई योजना के स्थान पर सौर ऊर्जा चालित उद्‌वह सिंचाई योजना का निर्माण कर किसानों के लिए टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
4. सौर ऊर्जा चालित उद्‌वह सिंचाई योजना के स्थल चयन से लेकर क्रियान्वयन एवं तत्पश्चात् संचालन एवं रख–रखाव में स्थानीय लाभुक समूह–सह–जल उपयोगकर्ता संगठन की सहभागिता एवं उनका सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है। योजनाओं के स्थल चयन, जल उपयोगकर्ता संगठनों का गठन, उनका क्षमता संवर्धन, उन्मुखीकरण एवं उनके कार्यकलापों का अनुश्रवण करने हेतु विभाग में पंजीकृत गैर सरकारी संस्थानों/स्वंयसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है।
5. ऐसा पाया जा रहा है कि लघु सिंचाई योजनाओं हेतु क्षेत्रीय विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा गठित जल उपयोगकर्त्ता संघ न तो लघु सिंचाई योजनाओं के रख–रखाव में रूचि लेते हैं और न ही योजनाओं को क्रियाशील रखने में अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाते है। सृजित की गई सिंचाई परिसम्पत्ति के संचालन हेतु क्रियाशील पूंजी की व्यवस्था नही कर पाने एवं उचित ढ़ंग से लेखा का संधारण न कर पाने के कारण कालान्तर में जल उपयोगकर्ता संघ निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी हो जाते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सृजित की गई सिंचाई परिसम्पत्ति के रख–रखाव एवं सृजित सिंचाई क्षमता के महत्तम उपयोग के लिए ऐसे जल उपयोगकर्त्ता संघों को उनके अधिकारों कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करते हुए सृजित की गई सिंचाई परिसम्पत्ति के संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जाए।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं स्वच्छ छवि वाले पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं से जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उनके सूचीकरण (Empanelment) की आवश्यकता है।
7. सूचीबद्ध पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं से आवश्यकतानुसार समय–समय पर निम्नांकित सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी :–

**सौर ऊर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना से संबंधित–**

(7.1) योजना की स्वीकृति हेतु निम्न कार्य सम्बन्धित लघु सिंचाई प्रमण्डल की देख–रेख में सम्पादित करेंगे–

i. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों का जल उपयोगकर्त्ता संगठन का गठन विभागीय संकल्प के आलोक में सुनिश्चित कराना।
ii. जल उपयोगकर्त्ता संगठन का बैंक खाता खुलवाना एवं उसमें योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों से निश्चित न्यूनतम धन राशि जमा कराना।
iii. विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में योजना स्थल एवं कमाण्ड एरिया के आलोक में जल उपयोगकर्त्ता संगठन का सिंचाई योजना की मांग से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त करने में सहयोग करना।
iv. योजना के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल के चयन में सहयोग करना।
v. योजना के निर्माण हेतु रैयती जमीन की आवश्यकता होने पर लाभुक से जमीन के उपयोग हेतु सहमति प्राप्त करना।
vi. जल उपयोगकर्त्ता संगठन को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी एवं इससे होने वाले लाभ से अवगत कराना।
vii. योजना के विभिन्न अवयवों/संरचनाओं के रख–रखाव हेतु जल उपयोगकर्त्ता संगठन के एक सदस्य को Technical Support Person (TSP) रूप में चयनित करने में सहयोग करना एवं प्रशिक्षित करना।
viii. जल उपयोगकर्त्ता संगठन को मासिक बैठक करने हेतु प्रेरित करना एवं बैठक की कार्यवाही तैयार करने हेतु प्रशिक्षित करना। योजना स्वीकृत होने के पूर्व जल उपयोगकर्त्ता संगठन की कम से कम तीन बैठक कराना सुनिश्चित करना।

(7.2) योजना स्वीकृति होने के उपरान्त योजना के चालू होने तक निम्नलिखित कार्य सम्बन्धित लघु सिंचाई प्रमण्डल की देख–रेख में सम्पादित करेंगे–

i. पटवन के रकवा अथवा प्रति घण्टा पम्प संचालन के आधार पर सिंचाई शुल्क निर्धारित करने एवं उसका लेखा–जोखा रखने हेतु जल उपयोगकर्त्ता संगठन को प्रशिक्षित करना।
ii. जल उपयोगकर्त्ता संगठन की मासिक बैठक सुनिश्चित करते हुए योजना चालू होने के पूर्व कम से कम चार बैठक कराना एवं बैठक की कार्यवाही तैयार कराना।

iii. जल उपयोगकर्त्ता संगठन को सिंचाई हेतु जल के कुशल उपयोग से अवगत कराना। सिंचाई की नई प्रणालियाँ यथा–टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना।

iv. जल उपयोगर्त्ता संगठन एवं Technical Support Person (TSP) को योजना के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।

v. जल उपयोगकर्त्ता संगठन के किसानों को रब्बी फसल की खेती हेतु उत्प्रेरित करना।

vi. विभागीय संकल्प के आलोक में जल उपयोगकर्त्ता संगठन हेतु निर्धारित कार्यों में जल उपयोगकर्त्ता संगठन (WUA) को सहयोग करना एवं प्रशिक्षित करना।

(7.3) योजना का दो वर्षो तक जल उपयोगकर्त्ता संगठन के द्वारा किए जाने वाले संचालन एवं रख–रखाव के कार्य का विभाग में पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा निम्न प्रकार से सम्बन्धित लघु सिंचाई प्रमण्डल की देख–रेख में अनुश्रवण किया जाएगा एवं जल उपयोगकर्त्ता संगठन को प्रेरित किया जाएगा–

i. पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बुआई के मौसम में प्रति माह कृषि क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों द्वारा लगाई गई फसल, सिंचाई की स्थिति एवं फसल के प्रकार से सम्बन्धित प्रतिवेदन तैयार करना।

ii. पटवन हेतु जल उपयोगकर्त्ता संगठन द्वारा निर्धारित शुल्क लाभुक किसान द्वारा जमा किये जाने की जानकारी रखना एवं सिंचाई शुल्क ससमय जमा कराना।

iii. जल उपयोगकर्त्ता संगठन द्वारा नियमित बैठक की जा रही है या नहीं की निगरानी करना एवं नियमित बैठक सुनिश्चित करना।

iv. किसानों के बीच सिंचाई हेतु जल के सम्यक वितरण की निगरानी करना एवं लाभुक किसानों के बीच सिंचाई हेतु जल के समान रूप से वितरण को सुनिश्चित करना।

v. योजना से सम्बन्धित आय–व्यय का लेखा–जोखा नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है या नहीं की निगरानी करना।

vi. पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा उपरोक्त कण्डिका–I से V तक के कार्यों के संबंध में त्रैमासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित विभागीय कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को समर्पित करना।

निर्मित/निर्माणधीन अन्य लघु सिंचाई योजना से संबंधित–
कण्डिका (7.2) एवं (7.3) के कार्य।

(7.4) समय–समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रक्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सूचीकरण हेतु इच्छुक पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची के नाम से रूपये 1000/– (एक हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट (SBI, Payable at Ranchi) समर्पित कर उनके कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

जल संसाधन विभाग की Website:- www.wrdjharkhand.nic.in से भी यह प्रपत्र Download किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदन के साथ 1000/– (एक हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट (SBI, Payable at Ranchi) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. **आवेदक संस्था की प्रथमतः निम्नवर्णित अर्हत्ताएँ होनी अनिवार्य है:–**

i. संस्था का विधिवत् निबंधन एवं न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव,
ii. विशेषज्ञों की उपलब्धता,
iii. आधारभूत संरचना की उपलब्धता,
iv. झारखण्ड में कार्यालय की उपलब्धता,
v. विगत तीन वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की उपलब्धता,
vi. विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक 05 (पाँच) लाख रूपये की योजनाओं का कार्यान्वयन,
vii. संस्था अथवा उसके किसी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
viii. उपर्युक्त क्रम में संलग्न परिशिष्ट–I में वर्णित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में परिशिष्ट–II से परिशिष्ट–VI में वर्णित प्रपत्रों के अनुसार आवेदन पत्रों को विधिवत् समर्पित करना अनिवार्य है।

10. चयनित संस्थाओं से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव एक साथ प्राप्त किया जाएगा। तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। न्यूनतम दर प्रदत्त संस्थाओं के उद्धृत दर के अनुरूप ही अन्य तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त संस्थाओं से कार्य करने हेतु अनुरोध किया जाएगा।
11. आवेदक संस्था के द्वारा आवेदन की शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सूचनाएँ/कागजात एक मुहरबंद लिफाफे में जमा किये जायेंगे, जिसपर **''झारखण्ड में समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एंव सुनिश्चित करने में सहयोग देने हेतु सूचीकरण के लिए आवेदन''** अंकित किया जायेगा।
12. आवेदक संस्था के द्वारा बतौर प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन के साथ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची के नाम से 2000/–(दो हजार) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट (SBI, Payable at Ranchi) जमा किया जायेगा, जिसे लौटाया नहीं जाएगा।
13. इच्छुक पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा दिनांक–04/07/2024 को संध्या 5:00 बजे तक अपने आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची के कार्यालय में जमा किये जायेगें।
14. प्राप्त आवेदन पत्रों को इस प्रयोजन हेतु गठित तकनीकी समिति के द्वारा खोलते हुए तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन का तिथि एवं समय की सूचना बाद में दी जायेगी। तकनीकी मूल्यांकन के समय आवेदक संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

15. **सूचीबद्ध संस्था के किसी कार्य हेतु चयन प्रक्रियाः–**

(15.1) राज्य के किसी भी जिले में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सूचीबद्ध समस्त संस्थाओं को विभाग के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण करने हेतु निदेशित किया जाएगा। यह प्रस्तुतिकरण इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के समक्ष ऐसी इच्छुक संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। उक्त समिति के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के क्रम में अधिकतम 100 अंक प्रदान किए जाऐगें।

(15.2) सूचीबद्ध ऐसी समस्त इच्छुक संस्थाओं के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रसंगाधीन कार्य हेतु सभी कर, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय बीड समर्पित की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला जाएगा।

विभिन्न संस्थाओं के द्वारा वित्तीय बीड में उद्धत दरों में से न्यूनतम दर उद्धत करने वाली संस्था को 100 अंक देते हुए इसी अनुपात में अन्य संस्थाओं को अंक प्रदान किए जाएगें।

(15.3) किसी जिले में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने हेतु निम्नांकित अनुपातिक अधिभार (Proportional Weightage) देते हुए अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा :–

| | | |
|---|---|---|
| क | तकनीकी मूल्यांकन | 50 प्रतिशत |
| ख | कार्य योजना प्रस्तुतिकरण | 25 प्रतिशत |
| ग | वित्तीय बीड | 25 प्रतिशत |

(15.4) इस प्रकार मूल्यांकन के उपरान्त सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त करने वाली संस्था के साथ प्रसंगाधीन कार्य करने हेतु विभाग अथवा विभाग के द्वारा प्राधिकृत अनुवर्ती कार्यालय के द्वारा विधिवत् अनुमोदित एकरारनामा प्रारूप के आधार पर एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एकरारनामा हस्ताक्षरित करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य संपन्न कराया जाएगा।

(15.5) प्रसंगाधीन कार्य के नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु विभाग अथवा अनुवर्ती कार्यालय में उपयुक्त अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की जाएगी ताकि ससमय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

16. **जल संसाधन विभाग को उपरोक्त शर्त्तों में आवश्यकतानुसार समय–समय पर जनहित में परिवर्त्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

17. कालक्रम में भी इच्छुक पंजीकृत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा आवेदन विधिवत् जमा किए जा सकते है, जिनका इस प्रयोजन हेतु गठित उपर्युक्त तकनीकी समिति के द्वारा नियमित अंतराल पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

18. किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का विभाग का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

NOTE – *सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं के सूचीकरण (Empanelment) से संबंधित आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट* <u>*www.wrdjharkhand.nic.in*</u> *पर उपलब्ध है।*

## परिशिष्ट–I

**आवेदन की मुख्य शर्ते :–**

1.1 इच्छुक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्था के द्वारा अपना निबंधन प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षो का आय–व्ययक लेखा जोखा, पैन (PAN) संख्या, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक कागजात विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–II) में समर्पित करने होगें।

1.2 संस्था को आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि संस्था अथवा उसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा संस्था के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमें में कोई दंडादेश पारित नहीं किया गया है (परिशिष्ट–VI)

1.3 संस्था को कम से कम तीन वर्षो का ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने का कार्यानुभव होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक विवरणी (परिशिष्ट–III) में समर्पित की जाए।

1.4 आवेदन के साथ उक्त संस्था में कार्यरत विशेषज्ञ पदाधिकारियों की योग्यता, अनुभव, इत्यादि की विवरणी विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–IV) में संलग्न रहनी अपेक्षित है।

इस क्रम में संस्था के पास ग्रामीण क्षेत्र/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्र के संबंधित विषय के विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनकी न्यूनतम योग्यता डिग्री या डिप्लोमा अथवा उसके समतुल्य उपाधि होनी चाहिए।

1.5 संस्था के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, जैसे–भवन, वाहन, प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि का स्पष्ट ब्योरा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–V) में उल्लेखित होना चाहिए।

1.6 विगत तीन वर्षो के दौरान संस्था के द्वारा औसतन वार्षिक रू० 05.00 लाख की योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन होना चाहिए।

1.7 संस्था का गत तीन वर्षो अर्थात 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न होना चाहिए।

1.8 संस्था का झारखण्ड में अपना कार्यालय होना चाहिए, जो विगत कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो।

1.9 संस्था के द्वारा समर्पित कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा अनुसूची (Index) संलग्न की जाए, जिसमें समस्त वांछित कागजातों की विवरणी की पृष्ठ संख्या दर्ज करते हुए वर्णित की जाए।

2.1 सूचीकरण (Empanelment) हेतु निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर संस्थाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन मूल 100 अंको का होगा तथा सूचीकृत होने हेतु किसी संस्था को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे :–

| क्रम | न्यूनतम मापदण्ड | | मूल्यांकन का मापदण्ड | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संस्था का सामान्य अनुभव (न्यूनतम तीन वर्ष) | | 1 अंक प्रतिवर्ष | 10 अंक |
| 2. | ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने का कार्यानुभव (न्यूनतम तीन वर्ष) | | 2 अंक प्रतिवर्ष | 10 अंक |
| 3. | संस्था का विगत तीन वर्षो (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का औसत वार्षिक turnover | | 1 अंक प्रति 5.00 लाख रूपये | 25 अंक |
| 4. | आधारभूत भौतिक सुविधा उपलब्धता :– | | | |
| i | कार्यालय भवन | निजी | 2 | 2 अंक |
| | | किराये | 1 | |
| ii | वाहन | निजी | 1.5 | 3 अंक |
| | | किराये | 1 | |
| 5. | संस्था के परियोजना कार्यकारी दल के मुख्य पदधारकों की शैक्षणिक योग्यता तथा कार्यकुशलता :– | | | |
| i | शैक्षणिक योग्यता | डिग्री एवं उसके समतुल्य उपाधि (2 अंक) डिप्लोमा (1 अंक) | | 20 अंक |
| ii | कार्यानुभव | 1 अंक प्रति अतिरिक्त वर्ष (2 वर्ष के पश्चात्) | | 30 अंक |
| | | | **कुल** | **100 अंक** |

**नोट** : यह अपेक्षित है कि प्रत्येक संस्था अपने आवदेन के साथ साक्ष्य स्वरूप वांछित समस्त कागजात अनिवार्य रूप से संलग्न करे ताकि अंक प्रदान करते समय कोई संशय न उत्पन्न हो।

2.2 **संस्था के परियोजना कार्यकारी दल में निम्नांकित मुख्य पदधारक होना आवश्यक है :–**

| क्र० | पदनाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | समूह प्रमुख (Team Leader) | 1 |
| 2 | कार्यक्रम समन्वयक | 1 |
| 3 | ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने के तकनीकी विशेषज्ञ | 2 |
| 4 | वित्त विशेषज्ञ/लेखापाल | 1 |
| 5 | सामुदायिक संगठक (Community Organiser) | 3 |
| 6 | महिला समन्वयक (Women Coordinator) | 2 |

**नोट** : यह अपेक्षित है कि प्रत्येक संस्था अपने आवदेन के साथ साक्ष्य स्वरूप वांछित समस्त कागजात अनिवार्य रूप से संलग्न करे ताकि अंक प्रदान करते समय कोई संशय न उत्पन्न हो।

## परिशिष्ट–II

## गैर सरकारी संस्था/स्वयं सेवी संस्था के सूचीकरण (Empanelment) हेतु आवेदन पत्र का विहित–प्रपत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | संस्था का नाम | | |
| 2 | संस्था का स्थानीय कार्यालय एवं डाक पता | | |
| | टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ ई० मेल सहित | | |
| 3 | संस्था के मुख्यालय एवं डाक पता | | |
| | टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ ई० मेल सहित | | |
| 4 | संस्था के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का नाम एवं डाक पता | | |
| | टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ ई० मेल सहित | | |
| 5 | संस्था के बोर्ड के सदस्यों का नाम एवं डाक पता *(अलग से पृष्ठ संलग्न करें)* | | |
| | टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ ई० मेल सहित | | |
| 6 | निबंधन अधिनियम, निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि *(दस्तावेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)* | | |
| 7 | पैन नं० *(अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)* | | |
| 8 | संस्था की वेबसाइट (अगर हो) यू0आर0एल0 | | |
| 9 | संस्था का कुल कार्यानुभव (वर्षो में) *(दस्तावेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)* | | |
| 10 | ग्रामीण क्षेत्रों/ सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने का कार्यानुभव (वर्षो में) *(दस्तावेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)* | | |
| i | उपलब्ध भौतिक आधारभूत संरचनाओं संबंधी विवरणी (संलग्न करें) | | |
| Ii | भवन निजी (स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) | | |
| Iii | भवन किराये पर (किराये संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) | | |
| iv | वाहन निजी (स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) | | |

## परिशिष्ट–III

### संस्था का जल संसाधन/सामाजिक कार्य एवं संबंध प्रक्षेत्र में कार्य अनुभव

संस्था नाम :–

| क्र० | वर्ष | जिला (नाम) | प्रखंड (नाम) | पंचायत /वार्ड (नाम) | कराए गए कार्यो की विवरणी | | | | अभि० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्रक्षेत्र (Sector) | लागत (रू० में) | कार्य विवरणी (संक्षिप्त) | लाभान्वित व्यक्ति (संख्या) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

## परिशिष्ट–IV

### संस्था के परियोजना कार्यकारी दल के विशेषज्ञ की योग्यता एवं कार्य अनुभव

संस्था नाम :–

| क्र० | कार्यकारी दल (सदस्य) | | | शैक्षणिक योग्यता | विशेषज्ञता प्रक्षेत्र | कार्यानुभव | विशिष्ट अनुभव/ उपाधि आदि | अभि० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नाम | पदनाम | डाक पता, मोबाईल संख्या, ई–मेल पता | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

## परिशिष्ट–V

संस्था नाम :–

| क्र० | आधारभूत संरचना (नाम) | संरचना प्रकृति (चल/अंचल) | पता (अंचल)/निबंधन संख्या (चल) | मूल्य विवरणी | | अभि० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | क्रम वर्ष | क्रय लागत (रू० में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

# परिशिष्ट–VI

मैं श्री/सुत्री/श्रीमती ..................................................................................................................

पिता/पति श्री .......................................................................................पता.......................................

........................................ पो0 .................................. थाना ............................ जिला .......................

स्वेच्छा पूर्वक यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मुझे .................................. संस्था की ओर से यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया है।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि यह ......................................................... संस्था या इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा इस संस्था के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य है।

यदि कोई असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम : ....................................

स्थान : ..................................

आवेदक का हस्ताक्षर